राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –390/2012/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स फेना (प्रा.) लि.,
बहरोड .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के. वेद
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सी.एम. शर्मा
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30.11.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) अलवर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, भिवाडी (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 46/आरवैट/09–10/उपा/अपील्स/अलवर–द्वितीय/भिवाड़ी में पारित आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 76(6) के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) ने दिनांक 21.10.2008 को वाहन संख्या HR-61-2070 को लोहारू सूरजगढ़ रोड पर पिलोद के निकट पर चैक करने पर वाहन द्वारा बहरोड से सूरजगढ़/रतनगढ़ को **"डिटर्जेण्ट केक एवं पाउडर"** का परिवहनित किया जा रहा था। परिवाहनित माल के संबध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा मैसर्स माइल स्टोन फ्रेट मूवर्स (ट्रांसपोर्टर्स एवं गवर्मेण्ट कॉण्ट्रेक्टर्स) 165, धरमकुंज अपार्टमेण्ट, सैक्टर–9 रोहिणी दिल्ली की बिल्टी/जी.आर. न. 7926 दिनांक 21.10.2008 तथा मैसर्स फेना (प्रा.) लि. बहरोड का बिल/वैट इन्वाइस नं. 8/372 दिनांक 21.10.2008 कीमतन रूपये 1,84,729.73 जो फर्म मैसर्स जीवनराम राधाकिशन रतनगढ़ को जारी है एवं बिल/वैट इन्वाइस नं. 8/373 दिनांक 21.10.2008 कीमतन रूपये 1,77,535.05 जो फर्म बालाजी एण्टरप्राईजेज सूरजगढ़ को जारी किये गये है पेश किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनीत माल को परिवहनित माल के साथ प्राप्त दस्तावेज की जांच में पाया कि दोनों बिल–बिल्टी एक ही व्यक्ति द्वारा बनाये गये है तथा बिल/वैट इन्वाइस नं. 8/373 पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया असत्य एवं कूटरचित होने के कारण करापवंचन होने के कारण इसे अधिनियम की धारा 76(6) को उल्लघंन माना

लगातार.....2.

तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से श्री वाई. एम.तोमर द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को संतोषप्रद नहीं मानते हुए धारा 76(6) के तहत् परिवहनित माल डिटर्जेण्ट केक एवं पाउडर कीमतन 3,22,013/– रूपये पर शास्ति रूपये 96,604/– रूपये आरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने माल के परिवाहन के समय वांच्छित दस्तावेज माल के साथ होने तथा सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेजात को असत्य व कुटरचित माने जाने के संबंध में कोई जांच नही किये जाने तथा अपीलार्थी की कर चोरी की मंशा सिद्ध नहीं होने के आधार पर आरोपित शास्ति को आदेश दिनांक 18.03.2010 से अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 18.03.2010 से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2010 का खण्डन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा दोनों दस्तावेजों की बिल व बिल्टी एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई गयी है तथा बिल नं. 8/373 पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। माल से संबंधित दस्तावेज पेश किये गये वह कूटरचित है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सभी जांच करने व सबंधित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बयान को ध्यान में रखते हुए तथा करापवंचन पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण किया गया। जो विधिक था। अपीलीय अधिकारी द्वारा मनमाने ढ़ग से शास्ति को अपास्त किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.03.2010 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.03.2010 को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि परिवाहनित माल से संबंधित जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे वो बिल्कुल सही एवं वास्तविक है तथा वक्त जांच प्रत्यर्थी द्वारा खाते की नकल व नियमित बिलबुक कर निर्धारण अधिकारी को पेश कर दी गयी थी जिसका इन्द्राज व्यवहारी की लेखापुस्तकों में हो रखा था। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा दिनांक 04.11.2008 को लेखा पुस्तकों अनुसार कर जमा करने का चालान भी पेश कर दिया गया था। विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि क्रेता व विक्रेता दोनों

लगातार.....3.

ही वेट में रजिस्ट्रेड फर्म है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवाहनित माल से संबंधित बिल व बिल्टी को बिना कोई जांच करे, एक बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने की सिर्फ तकनीकी भूल को करापवंचन मानते हुए मिथ्या व बोगस साबित कर शास्ति का आरोपण किया गया। जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौति देने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों व विधि की सही व्याख्या करते हुए आदेश पारित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.03.2010 में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं होने से अपीलीय अधिकारी का आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से यथावत रखे जाने योग्य है। अतः प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7 कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2008 को वाहन संख्या HR-61-2070 को लोहारू सूरजगढ़ रोड पर पिलोद के निकट पर चैक करने पर वाहन द्वारा बहरोड से सूरजगढ़/रतनगढ़ को **"डिटर्जेण्ट केक एवं पाउडर"** का परिवहनित किया जा रहा था। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवाहनित माल से संबधित दस्तावेज मैसर्स माइल स्टोन फ्रेट मूवर्स (ट्रांसपोर्टर्स एवं गवर्मेण्ट कॉण्ट्रेक्टर्स) 165, धरमकुंज अपार्टमेण्ट, सैक्टर–9 रोहिणी दिल्ली की बिल्टी/जी.आर. न. 7926 दिनांक 21.10.2008 तथा मैसर्स फेना (प्रा.) लि. बहरोड का बिल/वैट इन्वाइस नं. 8/372 दिनांक 21.10.2008 कीमतन रूपये 1,84,729.73 जो फर्म मैसर्स जीवनराम राधाकिशन रतनगढ़ को जारी है एवं बिल/वैट इन्वाइस नं. 8/373 दिनांक 21.10.2008 कीमतन रूपये 1,77,535.05 जो फर्म बालाजी एण्टरप्राईजेज सूरजगढ़ को जारी किये गये है पेश किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवाहनित माल के साथ प्राप्त दस्तावेज में दोनों बिल–बिल्टी एक ही व्यक्ति द्वारा बनाये गये है तथा बिल/वैट इन्वाइस नं. 8/373 पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं होने को असत्य एवं कूटरचित मानकर करापवंचन किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) को उल्लघंन माना। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 18.03.2010 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 03.11.2008 के अधीन आरोपित शास्ति को न्यायसंगत नहीं मानते हुए अपास्त कर दिया गया।

8. अपीलीय अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 18.03.2010 में यह निष्कर्ष दिया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने परिवाहित माल से संबंधित दस्तावेजों की जांच किये बिना ही दस्तावेजों को असत्य तथा कुटरचित मानते हुए एवं करापवंचन की मंशा को सिद्ध किये बिना ही शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह भी निष्कर्ष दिया गया है कि माल के परिवाहन के समय समस्त वांछित दस्तावेज माल

लगातार.....4.

के साथ में थे, जो वाहन चालक/माल प्रभारी ने वास्ते जांच हेतु समक्ष अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये थे। इसके अतिरिक्त परिवहनित माल का क्रय–विक्रय राज्य के अन्दर पंजीकृत व्यवहारियों को ही किया जा रहा था जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान भी किया गया है व उक्त परिवाहनित माल के बिलों का इन्द्राज नियमित लेखा–पुस्तकों में किया हुआ है। इस प्रकार माल का क्रय व विक्रय राज्य के अन्दर ही पंजीकृत व्यवहारी को ही किया गया है तथा उक्त माल पर 12.5 प्रतिशत से कर का भुगतान भी किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दिया है कि व्यवहारी द्वारा परिवाहनित माल से संबधित बिलों का इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में किया गया है तथा कर निर्धारण अधिकारी करापवंचन की मंशा भी सिद्ध नहीं कर पाये है सिर्फ सन्देह के आधार पर ही प्रत्यर्थी पर करारोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश को पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं होने से हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2010 को यथावत रखे जाने तथा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अस्वीकार किये जाने का योग्य है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व/विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2010 की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

30/11/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य